न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 03/2023

उनवान

वासुदेव पिता लालजी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 136 L-R- Act</u>

निर्णय

दिनांकः 16.8.2023

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेबन्दी आबादी भुमि खाता संख्या 1319 नया 1165 पुराना के सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं सर्वे नम्बर 7313 रकबा 0.06 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हेक्टर भुमि वाके ग्राम पालोदा पटवार हल्का पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। प्रार्थी के पिता लालजी पिता मोतीराम जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा कि कृषि भुमि खाता 518 नया का सर्वे नम्बर 3584 रकबा 12 बीस्वा भुमि जमाबन्दी संवत 2031—2034 मे दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी के पिता ने उक्त आराजी सर्वे नम्बर 3584 रकबा 12 बीस्वा भुमि का श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिलाधिश कार्यालय बांसवाडा के आदेश संख्या 741—44 दिनांक 01/03/1976 को कृषि से अकृषि आबादी मे रूपान्तरीत होकर उक्त आबादीशुदा सर्वे नम्बर 3584 रकबा 12 बीस्वा भुमि जरिए नामान्तरण संख्या 1147 दिनांक 12/06/1978 से खातेदारी से श्रीसरकार ग्राम पंचायत पालोदा आबादी दर्ज हुई व जमाबन्दी संवत 2031—34 के खाता संख्या 518 में अमल दरामद हुआ तथा इसके पश्चात् जमाबन्दी संवत 2031—35 में खाता संख्या 01 बिलानाम श्रीसरकार खाते में दर्ज हुआ। उक्त आबादीशुदा सर्वे नम्बर 3584 रकबा 12 बीस्वा किस्म आबादी भुमि के नये नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं 7313 रकबा 0.06 हेक्टर बने। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उनके वारिसानो के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करते समय लिपिकिय त्रुटी से आराजी सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं 7313 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म आबादी के स्थान पर आराजी सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं 7313 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म भुरि तृतीय के रूप मे कृषि भुमि मे दर्ज हो गई। उक्त राजस्व रिकार्ड मे त्रुटी की वजह से प्रार्थी को अपनी उक्त आबादी भुमि के उपयोग व उपभोग मे भा[illegible] पड रहा है तथा उसके सामने विकट परिस्थितिया उत्पन्न हो रही है। उक्त [illegible]टी [illegible] दुरस्त कर आराजी सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं 7313 [illegible] आबादी मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी [illegible] राजस्व अधिकारीयो से प्रार्थना [illegible] पेश कर निवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारी उक्त त्रुटी [illegible] दुरस्त नही कर रहे है [illegible]कार प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश दिया जावे की आराजी सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हेक्टर एवं 7313 रकबा 0.06 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हेक्टर भुमि को ग्राम पंचायत पालोदा के नाम किस्म—आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के लिए प्रार्थना—पत्र पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार के नाम सम्मन जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पालोदा में खाता संख्या 1319 में सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 7313 रकबा 0.06 हे0 किस्म– भू–द्वि. अनिल, वासुदेव, शंकर पिता लालजी ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा के आदेश संख्याः 741–44 दिनांक 01.3.1976 से खसरा नम्बर 3584 रकबा 12 बिस्वा के संपरिवर्तन (आबादी) आदेश जारी हुआ जिसकी पालनामें नामान्तरकरण संख्या 1147 दिनांक 12.6.1978 से सर्वे नम्बर 3584 रकबा 12 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत पालोदा के नाम बाआदी दर्ज हुई। ग्राम पंचायत पालोदा द्वारा वासुदेव पिता लालजी ब्राह्मण को भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 124 दिनांक 12.8.1979 को 17 बाय 63 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिस पर पट्टाधारी मौके पर काबिज है। खसरा नम्बर 3584 रकबा 12 बिस्वा भूमि की तुनलात्मक नकल से मिलान अनुसार खसरा नम्बर 7312 रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.06 हे0 कुल किता दो रकवा 0.11 हे0 किस्म–भूरी तृतीय बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हो गया है। पूर्व में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के आदेश से खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.06 हे0 किल किता दो रकबा 0.11 हे0 किस्म–भूरी तृतीया वासुदेव, शंकरलाल, अनिल पिता लालजी के नाम दर्ज करने का आदेष जारी होने पर तद्नुसार खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थी वासुदेव पिता लालजी ब्राह्मण ग्राम पालोदा के खाता संख्या 1319 खसरा नम्बर 7313 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 7313 रकबा 0.06 हे0 किल किता दो रकबा 0.11 हे0 किस्म–भूरी तृतीय को किस्म शुद्धि कर आबादी कराना चाहता है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा से जारी आदेश क्रमांकः 741–44 दिनांक 01.3.1976, नकल जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 खाता संख्या 518 की छाया प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 1147 की छाया प्रति तथा भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा के आदेश क्रमांकः 741–44 दिनांक 01.3.1976 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1147 दिनांक 12.6.1978 ग्राम पंचायत पालोदा आबादी के नाम स्वीकृत हुआ था।

अतः प्रकरण में पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 1319 (नया) 1165 (पुराना) के सर्वे नम्बर 7312 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 7313 रकबा 0.06 हे0 किस्म–भूरी तृतीय कुल किता दो रकबा 0.11 हे0 भूमि कि किस्म–आबादी ग्राम पंचायत पालोदा के नाम दर्ज करने भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.8.2023 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:44:28 IST
Reason: SelfAttested